

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

-:: विविध आदेश ::-

क्र.- 55-1 / सी.जे.एम. / 2026

सिवनी, दिनांक 31 / 03 / 2026

मैं श्रीमती कला भम्मरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में समय 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करती हूँ तथा यदि रिमांड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदनों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही निष्पादित की जावेगी।

जिला मुख्यालय सिवनी -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	रिमांड दिनांक
1.	सुश्री गार्गी शर्मा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	05/04/2026
2.	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	03/04/2026
3.	श्रीमती अर्चना यादव, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	14 /04/2026
4.	श्री अमरीश भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	04 & 26/04/2026
5.	श्रीमती राखी देवलिया, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	12 & 19/04/2026

तहसील लखनादौन, जिला सिवनी -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	रिमाण्ड दिनांक
1	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	12 & 14/04/2026
2	सुश्री रिशु भगत, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	26/04/2026
3.	सुश्री नगीना मरावी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	19/04/2026
4.	श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	03 & 04/04/2026
5.	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	05/04/2026



तहसील केवलारी, जिला सिवनी -

क्र०	न्यायिक अधिकारी	रिमांड दिनांक
1.	श्री अजय कुमार अहिरवार, जे.एम.एफ.सी. केवलारी, जिला-सिवनी	माह अप्रैल 2026 के समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमांड डियूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।

तहसील छपारा, जिला सिवनी -

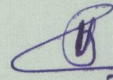
क्र०	न्यायिक अधिकारी	रिमांड दिनांक
1.	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी, शृंखला न्यायालय छपारा जिला-सिवनी	माह अप्रैल 2026 के शृंखला न्यायालय अवधि में समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमांड डियूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।

नोट:-

- रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र प्राप्त करेंगे एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे आवेदन जिनमें 24 घण्टे के अंदर कथन लिया जाना अनिवार्य है, उनका नियमानुसार कथन लेखबद्ध करेंगे।
- उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट आपसी सहमति से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में लिखित सहमति प्रेषित करते हुए आपस में रिमाण्ड डियूटी बदल सकते हैं।
- किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड करेंगे। उनके अवकाश या स्थानांतरण होने की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रिमाण्ड/प्रतिप्रेषण कार्य संपादित करेंगे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने की सूचना बोर्ड के सदस्य को आवश्यक रूप से देंगे, दोनों के अनुपस्थिति में उस दिन रिमाण्ड डियूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी द्वारा किया जावेगा।
- यदि किसी कारणवश माह अप्रैल 2026 में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो उस तिथि का सिवनी मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य श्रीमति अर्चना यादव जे.एम.एफ.सी. सिवनी द्वारा निष्पादित किया जावेगा, यदि उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं रहते हैं, तब मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा रिमाण्ड डियूटी निष्पादित की जावेगी। इसी प्रकार तहसील मुख्यालय लखनादौन का रिमाण्ड कार्य सुश्री रिशु भगत लखनादौन द्वारा निष्पादित किया जावेगा। यदि उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं रहते हैं, तब मुख्यालय लखनादौन में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

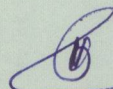


05. तहसील न्यायालय घंसौर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड ड्यूटी के अनुसार तहसील न्यायालय लखनादौन के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। तहसील मुख्यालय लखनादौन के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अति आवश्यक कारण से अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में दोनों तहसीलों के रिम:ण्ड कार्य मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।
06. तहसील न्यायालय केवलारी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड ड्यूटी के अनुसार जिला मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।
07. श्रृंखला न्यायालय छपारा के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड ड्यूटी के अनुसार जिला मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।


 31/03/26
 (श्रीमती कला भम्मरकर)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
 जिला सिवनी (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

01. कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. निष्पादन लिपिक, न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी/छपारा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
04. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी की ओर सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक सिवनी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिवनी जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
06. जिला नाजिर, जिला न्यायालय सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी/छपारा, जिला सिवनी को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
07. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम जिला न्यायालय सिवनी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
08. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी/छपारा, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।


 31/03/26
 (श्रीमती कला भम्मरकर)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
 जिला सिवनी (म.प्र.)

